भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1079

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पान मसाला और ज़र्दा की बिक्री में वृद्धि

†1079. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि 2013 से गुटखा पर प्रतिबंध के बावजूद, देश भर में पान मसाला और ज़र्दा (चबाने वाला तंबाकू) की अलग-अलग उत्पादों के रूप में बिक्री जारी है, जिससे तंबाकू नियंत्रण प्रयासों को नुकसान पहुँच रहा है और मुख कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ज़र्दा को और अधिक सख्ती से विनियमित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का विचार रखती है, जिसमें "ट्विन-पैक खामियों" को दूर करना और कानूनी नियंत्रणों को मजबूत करना शामिल है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले पाँच वर्षों में मुख कैंसर की घटनाओं, व्यापकता और मृत्यु दर पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने ज़र्दा क्षेत्र में कर चोरी, अवैध व्यापार और अनियमित विनिर्माण की सीमा का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) मौखिक तंबाकू उत्पादों से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और राजस्व हानि को कम करने के लिए प्रवर्तन, लाइसेंसिंग, कराधान और अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.11.5 के अंतर्गत पान मसाला के मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इन विनियमों के अंतर्गत गुटखा के कोई मानक निर्धारित नहीं हैं। पान मसाला के किसी भी विनिर्माता को उपर्युक्त उप-विनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 के अनुसार, किसी भी खाद्य उत्पाद में तम्बाकू और निकोटीन का उपयोग सामग्री के रूप में नहीं किया जाएगा।

(घ) और (ङ): राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि तम्बाकू उत्पादों का अवैध व्यापार एक गुप्त गतिविधि है, जिससे राजस्व में होने वाले नुकसान का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तथापि, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) क्षेत्रों और वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने वर्तमान वित्त वर्ष में जून, 2025 तक लगभग 104.38 करोड़ रुपए के कर से जुड़े गुटखा/चबाने वाले तंबाकू/सिगरेट/पान मसाला के 61 मामलों का पता लगाया है।

प्रवर्तन कार्रवाई को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के तहत, डीजीजीआई और सीजीएसटी क्षेत्रीय संरचनाओं को पंजीकृत करदाताओं के अनुपालन के स्तर को सत्यापित करने और बढ़ाने तथा अपंजीकृत संस्थाओं की पहचान करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है ताकि उन्हें कर के दायरे में लाया जा सके।

******